(13)

(35)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
अधिसूचना

स०सं0–01/स्था०राज०–276/2023–................................/ पटना, दिनांक– **जुलाई, 2025**

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल " **गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा के (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016**" (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** – (i) यह नियमावली "**गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा के (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2025**" कही जा सकेगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (iii) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **"बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016" के नियम–10 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"10. प्रशिक्षण।– (क) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त बिहार ईख सेवा के पदाधिकारी को परिवीक्षावधि में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेश कालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) प्रशिक्षण अवधि में बिहार ईख सेवा के ईख पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ग) प्रवेश कालीन प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित बिहार ईख सेवा के ईख पदाधिकारी के लिए एक वर्ष के प्रवेश कालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जाता है।

(i) **प्रथम चरण :–** बिहार ईख सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बिपार्ड द्वारा आयोजित 02 (दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme)। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों (आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सी०सी०ए० रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक/सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाभ, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली आदि) के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भारत–दर्शन का भी प्रावधान किया जा सकता है।

(ii) **द्वितीय चरण :–** बिहार ईख सेवा के लिए 03 (तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड अथवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जायेगा। इस हेतु विभाग एक नोडल पदाधिकारी नामित करेगा, जिससे समन्वय स्थापित कर बिपार्ड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदण्ड (Module) निर्धारित किया जायेगा।

(iii) **तृतीय चरण :–** गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को 15 (पन्द्रह) दिनों का प्रशिक्षण SRI पूसा एवं IISR लखनऊ अथवा NSI कानपुर अथवा अन्य मानक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समन्वय स्थापित कर दिया जायेगा। 45 (पैतालिस) दिनों का क्षेत्रीय कार्यालयों से, 30 (तीस) दिनों का मुख्यालय से संबद्धता एवं 90 (नब्बे) दिनों का स्वतंत्र प्रभार के साथ उन्हे प्रशिक्षित किया जायेगा।

(iv) **चतुर्थ चरण :–** बिहार ईख सेवा के लिए बिपार्ड द्वारा बिपार्ड में 01 (एक) माह का सांस्थिक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों अपने प्रकल्प (Project) पर प्रस्तुतीकरण (Presentation) देंगे तथा इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय

35

के विभिन्न विभागों यथा गन्ना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग इत्यादि में भी सम्बद्ध किया जायेगा, का प्रावधान किया जाता है।"

3. **"बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016" के नियम 15 (क) का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली के नियम–15 (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"15 (क) परिवीक्षा अवधि– आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त बिहार ईख सेवा के मौलिक पद (ईख पदाधिकारी) के रूप में सभी नियुक्तियाँ 01 (एक) वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।"

4. **"बिहार ईख सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016" के नियम 19 का प्रतिस्थापन।–** उक्त नियमावली के नियम–19 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"19. विभागीय परीक्षा के विषय।– विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जायेगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(बी० कार्तिकेय धनजी)

सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–276/2023– /पटना, दिनांक जुलाई, 2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई०टी०मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–276/2023– /पटना, दिनांक जुलाई, 2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना/वित्त (वै0दा0नि0का0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–276/2023– /पटना, दिनांक जुलाई, 2025

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1422, दिनांक–14.05.2023/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान का पत्रांक–एटीआई/स्था०–60/2022–5565, दिनांक–29.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०राज०–276/2023–1011 /पटना, दिनांक 21 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि :– सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक/सभी ईख पदाधिकारी एवं विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव।